(66)

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R 861-I-17

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

घंसू , धूराम , हरिनारायण , सुंदरलाल तनय ग्यासी यादव ,

निबासी– ग्राम धनेरा, तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़,

.....आवेदकगण

वनाम.

म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़,

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रर्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 210/स्व निग/02–03 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28/01/2005 से परिबेदित होकर कर रहा हैं, जिसके साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र संलग्न है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि, आवेदकगण को ग्राम धनेरा स्थित भूमि खसरा नंबर 468द/1 , 468स रकवा क्रमशः 1.024 तथा 0.040 हैक्टर कुल रकवा 1.604 हैक्टेयर भूमि, दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत नायब तहसीलदार खरगापुर द्वारा प्र0 क0 425/अ–19(4)/1995–96 मे पारित आदेश दिनांक 27/08/1996 के द्वारा ब्यवस्थापित की गई थी। उपरोक्त भूमि पर आवेदकगण 02/10/1984 के पूर्व से काबिज थे। जिसके संबंध में ब्यवस्थापन के करीब 09 वर्ष उपरांत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को बिधिवत रूप से साक्ष्य सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करनें का अवसर प्रदान किये बगैर ही पारित आदेश दिनांक 28/01/2005 के द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 27/08/96 निरस्त कर दिया। जिससे परिबेदित होकर आवेदक यह निगरानी इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–861–एक / 2017 जिला–टीकमगढ़

घंसू आदि विरूद्ध म.प्र.शासन द्वारा अपर कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 210 / स्व.निगरानी / 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 28–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	